



2026:AHC:2406

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19502 वर्ष 2025

अवधेश यादव

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : देवब्रत यादव, राम प्रताप यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवब्रत यादव और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता के पिता एक ग्रामीण चौकीदार हैं जिनकी आयु लगभग 89 वर्ष है और रिट याचिकाकर्ता ग्रामीण चौकीदार के पद पर नियुक्त किए जाने का दावा कर रहे हैं।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का परीक्षण प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है और रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 4 आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 4 को लगता है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, तो रिट याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के बाद कागजात उस प्राधिकरण को भेज दिए जाएंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।